



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone& Fax:-0135-253154/2531072

E-Mail-ecpwwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक:-317/76याता0 (क)-उ0/2018

दिनांक: 22 मार्च, 2018

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| (1) मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0
देहरादून / टिहरी / पौड़ी / हल्द्वानी /
अल्मोड़ा / पिथौरागढ़। | (2) मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
हल्द्वानी / देहरादून। |
| (3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून। | (4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सड़क संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश। |
| (5) मुख्य अभियन्ता स्तर- II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून / अल्मोड़ा। | (6) मुख्य अभियन्ता
यू0एस0आर0आई0पी0 / ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून। |
| (7) मुख्य अभियन्ता
ए0डी0बी0 / आपदा, U.E.A.P.
आई0आई0टी0पार्क, देहरादून। | (8) मुख्य अभियन्ता
विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून। |

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण हेतु कार्यवाही।

- सन्दर्भ:-**
- | | |
|--|----------|
| (i) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6553/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (50)/2017 दिनांक 13.11.2017 | } संलग्न |
| (ii) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-6554/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (34)/2017 दिनांक 13.11.2017 | |
| (iii) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-7057/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (50)/2017 दिनांक 15.12.2017 | |
| (iv) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-503/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (50)/2018 दिनांक 31.01.2018 | |
| (v) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-881/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (50)/2018 दिनांक 23.02.2018 | |
| (vi) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक-997/प्रवर्तन/स0सु0/1-8 (50)/2018 दिनांक 07.02.2018 | |

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में मार्गों पर "चिन्हित ब्लैक स्पॉट के इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण" किया गया एवं परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उक्त स्थलों के सुधारीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के (i) पत्रांक-900/76याता (क)-उ0/2017 दिनांक 13.11.2017, (ii) पत्रांक-965/76याता (क)-उ0/2017 दिनांक 01.12.2017 (iii) पत्रांक-923/76याता(क)-उ0/2017 दिनांक 21.11.2017 (iv) पत्रांक-306/76याता (क)-उ0/2018 दिनांक 19.03.2018 (v) पत्रांक-304/76याता (क)-उ0/2018 दिनांक 19.03.2018 एवं नोडल अधिकारी रोड सेपटी का पत्रांक-223/11 (i) C-9/2018 दिनांक 15.01.2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है।

(2)

कृपया संलग्न सूची में वर्णित ब्लैक स्पॉट्स से इतर दुर्घटना सम्भावित स्थलों से सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों से सूचना निम्नवत प्रारूप पर संकलित कर प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि सूचना माननीय समिति को प्रेषित की जा सके।

क्र० सं०	ब्लैक स्पॉट से इतर दुर्घटना सम्भावित स्थल का नाम (सूची के अनुसार)	मार्ग का नाम व श्रेणी	कार्यदायी संस्था एवं खण्ड का नाम	सुधारीकरण हेतु उक्त स्थल पर की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्ण किये जान का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

✓ मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
22/12

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०,उत्तराखण्ड शासन।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो०नि०वि०,उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०/रा०मा०/ए०डी०बी०/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY..... को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)